


23/12 पत्रावली-वेग। आधिकारिक पत्रकारान्
उपस्थित। आधिकारिक पत्रकारान् को
सुना गया। पत्रावली का आधोपगत
अवधान भव्योक्त किया गया।
पृथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में
है तथा वादी को अपूरणीय हानि होने
की संभावना से इन्कार नहीं किया जा
सकता। अतः शत्रिवादीगण वादी के कवचे
कारण से किसी प्रकार की दखलवाजी
ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से
करावे। इस अन्त आराध की रज्याली
निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली केवल शुद्ध होकर
दर्ज नम्बर से कम की जाकर दायित्व
पत्रावली है।


सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदा